कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (शासकीय स्वशासी संस्था)
कार्यालय दूरभाष नंबर – 0731–2527383, ई–मेल –dean.ind@mp.gov.in DONATE ORGAN - SAVE LIFE अंगदान करें – जीवन बचाएँ

क्रमांक/ 14517 /एसएस/2025 इन्दौर दिनांक 13.8.25

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं पीजी डिग्री उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं जिनके द्वारा अपना पाठयक्रम पूर्ण कर लिया गया वे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र भोपाल पत्र क्रमांक 1 जी विज्ञप्त/सेल –संविदा/2025/811 दिनांक 11.08.2025 के द्वारा जारी सूचना का अवलोकन करते हुए अनिवार्य ग्रामीण सेवा पदस्थापना हेतु जारी दिशा– निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 अरविन्द घनघोरिया)
अधिष्ठाता
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

Scanned with CamScanner

वेबसाइट हेतु

क्रमांक 1जी/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2025/811

दिनांक 11.08.2025

प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातक एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण एवं इंटर्नशीप पूर्ण किए/एम0डी0एस0 उत्तीर्ण तथा स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों तथा एम0सी0एच/डी0एम0 बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु ऑन लाईन विकल्प प्राप्त करने की सूचना एवं दिशा निर्देश

(दिनांक 02.07.2025, 13.01 बजे तक पोर्टल पर प्रविष्ट तक चिकित्सकों हेतु)

1.	प्रदेश अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा बी0एम0एस0पोर्टल पर स्नातक बंधपत्र/स्नातकोत्तर//एम0सी0एच0/एम0डी0एस0 बंधपत्र चिकित्सकों की सूची अपलोड की गई है। प्रत्येक बंधपत्र स्नातक बंधपत्र चिकित्सक को अनिवार्य बंधपत्र सेवा के अनुक्रम में बंधपत्र सेवायें प्रदान करना है। समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा ऐसे बंधपत्र चिकित्सकों जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए है, का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया गया है। समस्त बंधपत्र चिकित्सकों को चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारी का अवलोकन करने तथा नियुक्ति हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए लॉग-इन आई0डी0 एवं पासवर्ड, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाईल नम्बर पर प्रेषित किया जावेगा। लॉग–इन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त न होने पर वेबसाईट लिंक पर स्वयं के मोबाईल क्रमांक की पृविष्टी करने पर एस0एम0एस0 के माध्यम से संबंधित चिकित्सक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पोर्टल की लिंक **https://mwmis.nhmmp.gov.in/mclogin.aspx** है। ऑन लाईन विकल्प प्रदान करने हेतु दिनांक 13.08.2025 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 17.08.2025 (रात्रि – 12.00 बजे) तक प्रेषित किए गए लॉग–इन एवं पासवर्ड द्वारा किया जा सकेगा।
2.	उपरोक्त दिनांक 13.08.2025 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 17.08.2025 (रात्रि – 12.00 बजे) के पूर्व एवं पश्चात पोर्टल पर पृविष्टी नहीं की जा सकेगी। पदस्थापना हेतु अन्य किसी प्रकार का आवेदन अमान्य किया जावेगा।
3.	पोर्टल पर लॉग–इन एवं पासवर्ड की प्रविष्टी पश्चात, चिकित्सकों को चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारी का अवलोकन कराया जावेगा। उपलब्ध जानकारी के आधार पर बंधपत्र चिकित्सक का प्रावधिक मेरिट क्रमांक भी दर्शित किया जावेगा। यदि नाम, प्राप्तांक ,पूर्णांक आदि अन्य प्रविष्टी में कोई त्रुटि है तो संबंधित चिकित्सक उक्त त्रुटी के संबंधत में रिमार्क कॉलम में अंकित करेंगे एवं संबंधित अधिठाता चिकित्सा महाविद्यालय के माध्यम से पुनः पोर्टल पर अपडेट करायेंगे। समस्त अधिष्ठाताओं की यह जिम्मेदारी होगी की चिकित्सकों से संशोधन संबंधी प्रकरणों का परीक्षण कर समय–सीमा दिनांक 16.08.2025 (सांय–05.00 बजे) के पूर्व संबंधित चिकित्सक की संशोधित डाटा पोर्टल पर अपडेट करें।
4	उपरोक्त कार्यवाही के साथ ही पोर्टल पर चिकित्सक को जिले वार, संस्थावार रिक्तियाँ प्रदर्शित की जावेंगी। प्रत्येक संस्था के समक्ष उनमें रिक्तियों की संख्या दर्शित की जावेगी, पोर्टल पर उक्त संस्था को सिलेक्ट कर चिकित्सक को संस्थाओं को वरीयता के आधार पर सिलेक्ट किया जाना है।
5.	त्रुटी सुधार,संशोधन के संदर्भ में पोर्टल पर अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा की गई प्रविष्टी उपरांत बंधपत्र चिकित्सकों की अंतिम वरीयता सूची (मेरिट सूची) तैयार की जावेगी । उक्त अंतिम मेरिट सूची अनुसार ही प्राप्त विकल्प अनुसार पदस्थापना स्थल का आवंटन किया जावेगा।
6	आवश्यक नहीं है कि विकल्प अनुसार पदस्थापना दी जाए, अंकित विकल्पों में पद रिक्तता अनुसार शासन की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापनाएँ की जाएगी। पदस्थापना के संबंध में विकल्प अनुसार पदस्थापना, किसी चिकित्सक का अधिकार नहीं होगा, इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जावेंगे। समय–सीमा में कार्यग्रहण नहीं करने वाले चिकित्सकों को पुनः कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी एवं उन्हें बंधपत्र राशि जमा करने के उपरांत ही बंधपत्र से मुक्त किया जावेगा।
7	चिकित्सकों द्वारा चाहे गए विकल्पों में पद रिक्तता न होने की स्थिति में अथवा नियत समयावधि में विकल्प प्रस्तुत न करने की स्थिति में विभागीय आवश्यकतानुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी।

संचालक(राजपत्रित) द्वारा अनुमोदित

11/08/25

(डॉ राजू निदारिया)
वरिष्ठ संयुक्त संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

Scanned with CamScanner